

लोकअदालत

सत्र-2018

मदस्त सं०:-

आदेश फलक :-

विशेष नगर सं०

83 / 2017 दफा

द. प्र० सं० 107

अजंजा केसरी <sup>बिनाम</sup> हरिलाल सिंह +

वाद लम्बित अन्तर्गत न्यायालय

अनुपस्थित दफाधिकारी सदर मेसिन


वाद की तिथि

आदेश एवं न्यायालय का हस्ताक्षर


अभियुक्ति

9.3.19

उभय पक्ष अनुपस्थित । अभिलेख का अवलोकन किया ।  
विविध वाद में नोटिस देने के बावजूद भी दोनों पक्ष  
उपस्थित नहीं हुए हैं । इससे प्रतीत होता है कि दोनों  
पक्षों को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है और न  
शान्ति मंग होने की कोई संभावना प्रतीत होता है । अतः  
अभिरुची के अभाव में इस वाद की अग्रतर कार्रवाई लोक  
अदालत के माध्यम से समाप्त की जाती है ।



सदस्य



सदस्य